

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-02/2024-705
प्रेषक,

व०प०, राँची, दिनांक-29/02/24

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक,
राँची-834002.

विषय :-मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-47 दिनांक-12.01.2024 एवं पत्रांक-87 दिनांक-01.02.2024 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ख) प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
- (ग) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल अंतर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित 10.19 हे० गैर वनभूमि को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में Transfer एवं Mutation कराया जायेगा।
- (घ) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित 10.19 हे० गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (ङ) वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल द्वारा अनुशंसित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।
- (च) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में Penal Provision का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।
- (छ) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

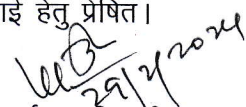
अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

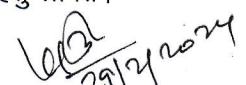
विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-02/2024-705 व०प०, राँची, दिनांक-29/02/24
प्रतिलिपि- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन,
अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-11003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-02/2024-705 व०प०, राँची, दिनांक-29/02/24
प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/Technical Head, Alope Steel Industries Pvt. Ltd., Opp. Ashok
Cinema, Ranchi Road, Marar, Dist-Ramgarh-829117 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

PART – V

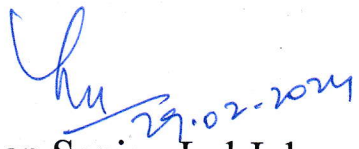
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion (Regularization) of 9.27 ha for Project of Aloke Steel Industries Pvt. Ltd. under Ramgarh Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion (Regularization) of 9.27 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.- 705.. dated-29/02/24


Rajdeep Sanjay Lal John

Special Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,

Jharkhand Ranchi.

Special Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002 Email ID : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 87

दिनांक:- 01/2/2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :-

मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं०
FP/JH/ENCRH)39652/2019 के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय के पत्रांक 47 दिनांक 12.01.2024

महाशय,

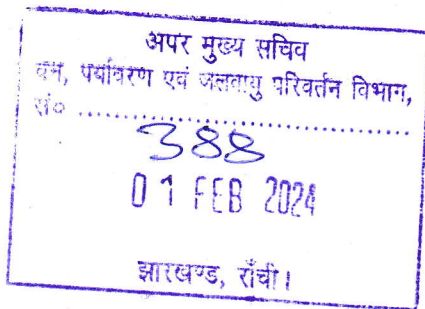
उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना
प्रस्ताव सं० FP/JH/ENCRH)39652/2019 हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी
प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 130 दिनांक 30.01.2024 द्वारा उनका मंतव्य उपलब्ध कराया गया है
जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 47 दिनांक 12.01.2024 के क्रम में इस पत्र के साथ संलग्न कर
अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. Q. n.
1.2.24





कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

Email: pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744



15

पत्रांक:—900(WL)P/2023-24-130...

दिनांक:— 30/1/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक —सह— कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषय:— मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लान्ट हेतु 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं०
FP/JH/ENCRH/39652/2019 के सम्बन्ध में।

प्रसंग:— आपका ज्ञापांक 47 दिनांक 12.01.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि इस कार्यालय का पत्रांक
103 दिनांक 25.01.2024 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से विषयक प्रस्ताव पर वन्यप्राणी प्रबंधन
योजना की आवश्यकता एवं सार्थकता के सम्बन्ध में स्पष्ट मंतव्य की माँग की गयी थी।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो ने अपने पत्रांक 185 दिनांक 29.01.2024 (सानुलग्नक,
छायाप्रति संलग्न) द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल से प्राप्त मंतव्य पर अपनी सहमती
जतायी है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मंतव्य से सहमत होते हुये अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य है कि
विषयक प्रस्ताव पर वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की आवश्यकता नहीं है।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड।

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email-pecf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 47

दिनांक:- 12/1/2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं० FP/JH/ENCRH)39652/2019 के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 1387 दिनांक 11.12.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/ENCRH)39652/2019 हेतु कुल 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल बोकारो के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. यह प्रस्ताव नियमितिकरण से संबंधित है।
3. Form-A Part-I के अनुसार इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल 21.16 हे० भूमि की आवश्यकता है जिसमें 9.27 हे० वनभूमि एवं 11.89 हे० गैर वनभूमि शामिल है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे० में)	जंगल- झाड़ी का रकबा (हे० में)	वनस्पति घनत्व
1.	रामगढ़	2.27 हे०	7.00 हे०	0.5 एवं 0.3

5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन संलग्न है।
6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/संलग्न है। जो निम्नवत् है:-

Abstract Land Schedule of Forest Land within the Total Area of M/s Aloke Steel Industries Pvt Ltd in Village-Budhakhap, P.O.- Karma, Dist- Ramgarh, Jharkhand State						
Sl. No.	Village	Khata No.	Plot No.	Certified Land Schedule (Area in Ac.)	Type of Land	Name of Owner as per deed
1	Budhakhap	1	272	5.43	Notified Forest	Govt. of Jharkhand
2			345	0.18	Notified Forest	Govt. of Jharkhand
Total Area in Acres				5.61		
Total Area in Hectare				2.27 Ha.		

Sl. No.	Village	Khata No.	Plot No.	Certified Land Schedule (Area in Ac.)	Type of Land	Name of Owner as per deed
1	Budhakhap	1	238	0.02	GM JJ Land	Sri Bikash Kr. Agarwal
2			258	0.82	GM JJ Land	Sri Bhikhu Mahto
3			272	15.03	GM JJ Land	Sri Ruplal Mahto & Othrs
4			345	1.44	GM JJ Land	Sri Bikash Kr. Agarwal
Total Area in Acres				17.31		
Total Area in Hectare					7.00 Ha.	

Sl. No.	Village	Area In Ha.	Type of Land
1	Budhakhap	2.27	Notified Forest
2	Budhakhap	7.00	GM JJ Land
Total		9.27	

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं०

181
16 JAN 2024



7. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निर्धारित Format पार्ट-II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।
8. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
9. 1:50,000 स्केल के टोपोगीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर प्रस्तावित मिनी प्लॉट स्थल को दिखाते हुए संलग्न है।
11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
13. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पार्ट-II में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि पर कुल 1897 वृक्ष अवस्थित है।
14. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने Form-A पार्ट-I के कंडिका 04 में उल्लेख किया है कि "Yes, Environmental Clearance has already obtained vide MoEF&CC letter no. - J-11o11/205/2016-IA II (I) dated 23.07.2018. Copy of EC is enclosed with this proposal Copy of Executive Summary of Environmental Management plan is enclosed with this proposal as Annexure-IX.
16. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा इस परियोजना को इस शर्त पर अनुशसा की गयी है कि "U.A should compliance of EC and data about stack emissions on monthly basis to Divisional Forest Office too."
17. इस परियोजना अर्तग्रस्त 7.00 हे० जंगल-झाड़ी वनभूमि के उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त रामगढ़ के ज्ञापांक 333 दिनांक 14.03.2023 द्वारा 17.31 एकड़ हेतु अनापति-प्रमाण पत्र प्राप्त है। जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
18. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त रामगढ़ के ज्ञापांक 1274 दिनांक 15.09.2022 द्वारा 9.27 हे० वनभूमि हेतु निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त है। साथ ही इस क्रम में हुई आमसभा/ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में FRA प्रमाण-पत्र (Form-II Other than Linear Project) में प्राप्त नहीं है। इस हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।
19. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा अपने पार्ट-2 के कंडिका-11 के उप कंडिका-1 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लंघन किये जाने की सूचना दी गयी है।
20. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण आवेदित 9.27 हे० वनभूमि में कुल रकवा 7.00 हे० वनभूमि अतिक्रमण के श्रेणी में आवेदित है तथा 18 वर्षों से कार्यरत है।
21. पार्ट-2 के कंडिका-11 के उप कंडिका-1 के 'c' में वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा **Action taken against the person responsible for violation** के कॉलम में यह उल्लेख किया गया है कि "*Not Applicable as the JJ Land was settled to raiyats before Nineteen Hundred Eighty and it is a case of unaware no compliance Only after land schedule was obtained from CO for forest diversion proposal real nature of land came into cognizance of authorities and area proposal was increased to include old JJ Thus no case has been registered by revenue or Forest*"
22. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
23. अपयोजन हेतु प्रस्तावित 9.27 हे० वनभूमि के समतुल्य 9.27 हे० गैर वनभूमि के विरुद्ध कुल 10.19 हे० गैर वनभूमि क्षतिपूरक वनरोपण के लिये चयन किया गया है। जो निम्नवत् है:-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना एवं थाना नं०	प्लॉट नं०	गैर वनभूमि का रकवा हे० में
1	गिरिडीह पूर्वी	कोरबंधा	गाण्डेय / 629	447, 448, 449, 450 एवं 454	3.72 हे०
2		पुरहरा	देवरी / 120	11 एवं 29	6.47 हे०
कुल :					10.19 हे०

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का डीड पेपर, लगान रशीद, नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

24. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय

25. प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य प्राप्त हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
26. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।
27. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में Penal Provision के तहत प्रस्तावित 9.27 हे० वनभूमि के अपयोजन/नियमितिकरण (*Regularization*) के लिए अनुशंसा की जाती है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ सलंग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना प्रस्ताव हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन


12/01/24
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


12.1.24

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

ALOKE STEEL INDUSTRIES PVT LTD. Ramgarh 9.27 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion (Regularization) of 9.27 ha of Forest land Under Provisions of FC Act 1980.

Date :- 12.01.2024

Place :- Ranchi

Signature



(Shashikar Samanta)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests

Cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)



कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-‘ए’ पुरुलिया रोड़, चास, बोकारो-827013
Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

पत्रांक : 1387, दिनांक : 11/12/2023

कैमुदीन मियाँ
सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

—सह—

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :-

मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में। (FP/JH/ENCRH/39652/2019)

प्रसंग :-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल का पत्रांक 2502 दिनांक 14.11.2023।

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के द्वारा मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे० वनभूमि 9.27 हे० वनभूमि(अधिसूचित वनभूमि 2.27 हे० तथा गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी दर्ज भूमि 7.00 हे०) अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

प्रस्तावित अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	जिला	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे० में)	जंगल-झाड़ी दर्ज भूमि का रकवा (हे० में)	अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि का रकवा (हे० में)
1	2	3	4	5	6
1.	रामगढ़ वन प्रमण्डल	रामगढ़	2.27	7.00	9.27

क्षतिपूरक वनरोपण हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया अपयोजित होने वाली भूमि के समतुल्य गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के साथ गिरीडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०सं०	प्रमण्डल का नाम	जिला	मौजा का नाम	थाना/थाना नं०	शुद्ध रकवा (हे० में)
1	2	3	4	5	6
1.	गिरीडीह पूर्वी वन	गिरीडीह	कोरबन्धा	गाण्डेय-629	3.72
2.	प्रमण्डल		पुरहरा	देवरी-120	6.47
				कुल:-	10.19

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्रस्तुत वनभूमि अपयोजन के Justification एवं Purpose wise break-up से सहमति व्यक्त की गई है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के 3 अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं। इस पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से अनु कर ली गई है।

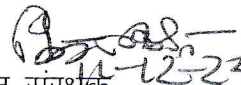
9

उपर्युक्त प्रस्ताव की Online uploading की कार्रवाई भी पूर्ण कर ली गयी है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल से प्राप्त प्रस्ताव अभिलेखों के साथ 06 (छः) प्रतियों में संलग्न कर अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों की विवरणी चेक लिस्ट में संलग्न है।

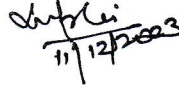
अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन



वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, बोकारो।


11/12/2023